भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 482
बुधवार, 7 फरवरी, 2024 (18 माघ, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण

482 # **डा. अनिल जैनः**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बहु-राज्य सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण करने

की दिशा में कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बहु-राज्य सहकारी समितियों के सदस्यों को उपरोक्त सुदृढ़ीकरण से होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार बहु-राज्य सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण करने की कोई योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): जी हां, मान्यवर । सरकार ने सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) कार्यालय को सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं:

i. मौजूदा विधान के अनुसमर्थन द्वारा और सत्तानववें संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्ट करके बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता में वृद्धि, जवाबदेही में वृद्धि और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार, आदि के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम और नियमों को क्रमश: दिनांक 03.08.2023 और 04.08.2023 को अधिसूचित किया गया है ।

ii. कार्यकुशलता में समग्र वृद्धि और कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान देने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में सीआरसीएस का अत्याधुनिक कार्यालय स्थापित किया गया है ।

iii. सीआरसीएस के कार्यालय को सशक्त करने के लिए 32 तकनीकी पदों सहित कुल 63 पदों का सृजन किया गया है जिसमें अन्य सपोर्ट स्टाफ के 31 पद शामिल हैं । तकनीकी पदों के भर्ती नियमों को दिनांक 01.09.2023 को अधिसूचित किया गया है और प्रतिनियुक्ति के आधार पर 5 पद भरे जा चुके हैं ।

iv. पंजीकरण, उपविधियों में संशोधन, वार्षिक विवरणी दाखिल करना, शाखा खोलना, विक्रय अधिकारी की नियुक्ति आदि सहित बहुराज्य सहकारी समितियों को संपूर्ण डिजिटल परितंत्र प्रदान करने के लिए www.crcs.gov.in नामक एकीकृत वेब पोर्टल का दिनांक 06.08.2023 को शुभारंभ किया गया ।

सीआरसीएस को सशक्त करने की पहलें बहुराज्य सहकारी समितियों में सहकारी आंदोलन को सशक्त करेंगी और शासन सुधार, पारदर्शिता में वृद्धि, संपरीक्षण प्रक्रिया का सशक्तिकरण, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का संचालन, सदस्यों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान, विनियामक कमियों का समाधान, 'व्यवसाय में सुगमता' को बढ़ावा और सीआरसीएस कार्यालय द्वारा मजबूत निगरानी से बहुराज्य सहकारी समितियों के सदस्यों को लाभान्वित करेंगे ।

*****